



Neutral Citation No. -

2026:AHC:28257

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 2223 वर्ष 2026

कृष्णा पाल और 2 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अतुल कुमार कुशवाहा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: अतुल कुमार, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. यह अग्रिम जमानत याचिका आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 212/2024, धारा 76, 115(2), 131, 324(4), 333, 351(2), 352, 117(2) बीएनएस, पुलिस स्टेशन- काकरौली, जिला मुजफ्फरनगर के तहत दायर की गई है, जिसमें मुकदमे की सुनवाई के दौरान अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

2. कुछ बहस के बाद, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उन्हें आवेदक संख्या 1 और 3 के लिए वर्तमान आवेदन वापस लेने की अनुमति दी जाए और उन्हें उचित न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत के लिए उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाए।

3. उपर्युक्त कथन के मद्देनजर, आवेदक संख्या 1 और 3 के लिए यह आवेदन उपर्युक्त छूट के साथ खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. आवेदक संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार कुशवाहा, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री अमित दुबे की दलीलें सुनी गईं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका तर्क है कि आवेदक को घटना में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। घायल श्रीमती सरोज देवी के बयान में सह-आरोपी अर्पण को लाठी से चोट पहुंचाने की विशिष्ट भूमिका बताई गई है, जिससे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, हालांकि, आरोपी अर्पण को जांच से बाहर कर दिया गया है। वे आगे कहते हैं कि जांच के दौरान प्राप्त सीसीटीवी फुटेज में केवल सह-आरोपी कृष्णपाल और अभिषेक ही अन्य घायल इल्लम सिंह पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

6. शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार ने दूसरी ओर तर्क दिया कि आवेदक का नाम एफआईआर में दर्ज है। चार घायल व्यक्तियों ने अपने बयानों में आवेदक का नाम स्पष्ट रूप से लिया है। पीड़िता श्रीमती सरोज देवी के धारा 183 बीएनएसएस के तहत दिए गए बयान में आवेदक को अपराध में सक्रिय भूमिका निभाने का दोषी ठहराया गया है। हालांकि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, फिर भी उसका कृत्य जघन्य है और उसे किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जानी चाहिए।

7. विद्वान एजीए ने मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों को स्वीकार कर लिया है।

8. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है।

9. आवेदक का नाम एफआईआर में है, हालांकि, गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप, जिसके कारण हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, सह-आरोपी अर्पण पर लगाया गया है, जिसका नाम एफआईआर में है। सह-आरोपी अर्पण को पुलिस द्वारा जांच से बाहर कर दिया गया है, जो आरोपपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है। आवेदक को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था। घटना के एक हिस्से से संबंधित जांच के दौरान प्राप्त सीसीटीवी फुटेज में भी केवल सह-आरोपी अभिषेक और कृष्णपाल दिखाई देते हैं और आवेदक की संलिप्तता नहीं दिखती है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

10. इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक संख्या 2 को अग्रिम जमानत देना उचित समझता/समझती हूँ।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



11. उपरोक्त के मद्देनजर, आवेदक संख्या 2 की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।
12. आवेदक संख्या 2-सहेंद्र पाल की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त मामले में अग्रिम जमानत पर तत्काल रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वह संबंधित पुलिस स्टेशन/न्यायालय के स्टेशन हाउस ऑफिसर की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो जमानती और एक निजी मुचलका प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-
- i. आवेदक संख्या 2 आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेगा;
 - ii. आवेदक संख्या 2 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विवश हो जाए;
 - iii. आवेदक संख्या 2 न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
 - iv. आवेदक संख्या 2 अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव/धमकी नहीं देगा;
13. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय को जमानत रद्द करने का अधिकार होगा।
14. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दिए गए अवलोकन केवल इस अग्रिम जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें मामले की खूबियों पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

20 मार्च 2026

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

ए. पांडे

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"